यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/92/2020 **दिनांक :** 21.05.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

हम एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा श्री देवाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को लिखे गए पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2020/85 दिनांक 21.5.2020 का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
श्री देवाशीष पांडा,
सचिव,
वित्तीय सेवायें विभाग,
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

हमने आपके कार्यालय के साथ निम्नलिखित मुद्दों को पहले ही उठाया हुआ है लेकिन हमें इस संबंध में सरकार से बैंकों के लिए कोई भी अनुकूल दिशानिर्देश नहीं मिले हैं। हम इन मुद्दों पर गौर करने और आईबीए को कुछ दिशानिर्देश जारी करने के लिए एक बार पुनः आपको प्रस्तुत करते हैं।

1. कर्मचारियों को एक दिन के अवकाश के नकदीकरण द्वारा संबंधित राज्य–स्तरीय मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने की अनुमति देना।

2. आभूषण ऋण/स्वर्ण ऋण वस्तुतः बैंकों द्वारा मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, और आभूषण ऋण मूल्यांकनकर्ता बिना किसी कमाई के हैं क्योंकि कमीशन उनकी एकमात्र आय है। वर्तमान कठिनाई से निपटने के लिए उन्हें अस्थायी ऋण की कुछ सहायता दी जा सकती है।

3. इसी तरह, बैंक दैनिक जमा संग्रहकर्ता भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बाजार और दुकानें लॉकडाउन के तहत बंद हैं और जमा संग्रहकर्ता कोई भी संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए पिछले एक महीने से उनकी कोई आय नहीं है। उन्हें भी वित्तीय सहायता या ऋण दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक न्यूनतम फॉल बैंक कमीशन का भुगतान किया जा सकता है।

जारी पृष्ठ 2

हम निम्नलिखित मुद्दों पर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन पर आपके सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता है।

1. कुछ बैंकों को गर्भवती महिला कर्मचारियों और स्तनपान कराने वाली महिला कर्मचारियों को घर से काम करने और रोजाना कार्यालय में उपस्थिति होने से छूट देने की अनुमति दी जाती है। चूंकि यह एक बहुत ही न्यायसंगत समस्या है, इसलिए हम इस संबंध में आईबीए/बैंकों को एकसमान दिशानिर्देश देने के लिए सरकार के आभारी होंगे।

2. हम कुछ राज्यों में पाते हैं, कि स्थानीय सरकारें कार्यालयों में उपस्थित होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को ले जाने के लिए कुछ बसों और वैन की व्यवस्था कर रही हैं। बैंक कर्मचारी जो वर्तमान लॉकडाउन स्थिति में भी कार्यालयों में उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें इन व्यवस्थाओं से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, हालांकि, बैंकिंग सेवा को आवश्यक सेवा के रूप में निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना बहुत कठिन लगता है इसलिए, यह बहुत मदद करेगा यदि सरकार राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को सलाह देगी कि बैंक कर्मचारियों को भी इन विशेष सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति है।

हम एक बार फिर उपरोक्त न्यायसंगत समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और आईबीए तथा बैंकों के साथ–साथ राज्य सरकारों के लिए आपके उपर्युक्त दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध करते हैं।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,

ह...

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री